# न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 424/2015

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति–प्रजापत, निवासी–प्रतापपुरा (नयागांव), तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) | | 1. सीताराम पुत्र पुखराज<br>2. रामनारायण पुत्र पुखराज के कायम मुकाम<br>1. जमनादेवी बेवा रामनारायण<br>2. मनीष पुत्र रामनारायण<br>3. निकिता पुत्री रामनारायण जाति–घांची, निवासी–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>3. निर्मल पुत्र नोरतमल जाति–सोनी, निवासी–जैतारण (पाली)<br>4. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)<br>5. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण, जिला–पाली (राज.) |

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.09/09/2015

उपस्थित:. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

## –:: निर्णय ::– दिनॉक:– 17/10/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 कुल रकबा 10–01 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का 1/5 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 का 3/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा इसी हिस्सानुसार उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। नकल प्रमाणित जमाबंदी संवत् 2069–2072 की तथा नक्शा ट्रेश साथ संलग्न है। जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की शामलाति दर्ज हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रहा है। परन्तु मौके पर पक्षकारान् के बीच आपसी रजाबंदी से बंटवाड़ा हो रखा है तथा अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि शामलाति होने से वादी अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण नही ले सकता है तथा उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन नहीं करा सकता है तथा अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से वादी ने उक्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा बाबत् प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया तथा कहा कि पड़ौसी है तथा आपस में एक दुसरे के बीच प्रेम की भावना बनी रहे परन्तु वादी को प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से दिनांक 30/08/2015 को स्पष्ट इंकार कर दिया इतना ही नहीं प्रतिवादीगण ने अपनी सामलाती कृषि भूमि को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति/क्रेता को बैचान करने हेतु साई के रूपये भी ले लिये है तथा जबरदस्ती बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त सामलाती कृषि का बैचान करने पर आमादा है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर चून्दड़ी बंट हो रखा है तथा अपने अपने खेतों के बीच माठे कायम है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नही हो रखा है इसलिए माफिक मौके पर बंटवाड़े के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज कर उक्त कृषि भूमि का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है, इस कारण से वादी ने बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सामलाती कृषि भूमि का बल पूर्वक बिना विधिक रूप से बंटवाड़ा करवाये ही किसी अजनबी क्रेता को बेचान वसीयत हस्तान्तरण कर देते है तथा वादी के हिस्से में आई कृषि भूमि के जायज हक अधिकार व हिस्से से महरूम होना पड़ेगा जिससे वादी को असीम हानि होगी, जिसका मूल्यांकन किसी कदर में संभव नही है। प्रतिवादीगण अपने इस दृष्कृत्य को करने में सफल हो जाते है तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनेक प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पक्षकार के बीच अनेक प्रकार की मुकदमें बाजी बढेगी मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी, इसलिए प्रतिवादीगण को वाद पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कृषि भूमि को बिना विधिक रूप से बंटवाड़ा करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, बख्शीस, रहन, हस्तान्तरण नहीं करे तथा चुन्दड़ी बंट के अनुसार मौका स्थिति में प्रतिवादीगण परिवर्तन नही करे। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा उक्त कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये किसी अन्य अजनबी क्रेता को बैचान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष बैचान रजिस्ट्री पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे। अगर बैचान रजिस्ट्री किसी अन्य अजनबी क्रेता के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा कर दिया जावें तो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बैचान रजिस्ट्री के आधार पर अजनबी क्रेता का म्यूटेशन स्वीकार नही करे। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। इस कारण से वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तहसीलदार व उपपंजीयन अधिकारी जैतारण है जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी होने के कारण बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। जबकि कानूनन इनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने से व नोटिस देने में समय लगने के कारण बिना नोटिस दिये ही वाद पत्र पेश किया जा रहा है। जिसकी अनुमति बाबत् अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 30/08/2015 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया तथा किसी अजनबी क्रेता को बैचान करने की ऐलानिया धमकी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

देने पर बमुकाम तहसील जैतारण में वाद कारण उत्पन्न हुआ है। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर म्याद वादपत्र पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/3, व 5 की और से राजीनामा पेश किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 2/4 की और से वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेगिंक लेने के बाद अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजुद वकालतनामा पेश नही करने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। लोक अदालत की भवाना से वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने आज ही वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर पक्षकारान में बंट्वाड़ा करावये जाने का आग्रह किया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात एवं जवाब दावे का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंट्वाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंट्वाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा– जैतारण, पट्वार हल्का– जैतारण, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 10–01 बीघा, किस्म बारानी दोयम की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/765 दिनांक 06/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/3262 दिनांक 26/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

**–:: आदेश ::–**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा– जैतारण, पटवार हल्का– जैतारण, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 10–01 बीघा, किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरिराम पुत्र रामचन्द्र कौम प्रजापत हि. 16/40 सा प्रतापपुरा (नयागांव) तहसील– जैतारण निर्मल पुत्र नोरतमल कौम सोनी हि. 24/40 सा. देह खातेदार | 177/2 | 2-00 | बारानी दोयम | 0.62 |
| | योग | 1 | 2-00 | | 0-62 |

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सीताराम पुत्र पुखराज हि. 101/161 रामनारायण पुत्र पुखराज हि. 60/161 कौम घांची सा.देह खातेदार | 177 | 8-01 | बारानी दोयम | 2.50 |
| | योग | 1 | 8-01 | | 2.50 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/10/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. हरिराम पुत्र रामचन्द्र
   जाति-प्रजापत, निवासी-प्रतापपुरा
   (नयागांव), तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राज.)

1. सीताराम पुत्र पुखराज
2. रामनारायण पुत्र पुखराज के कायम मुकाम
   1. जमनादेवी बेवा रामनारायण
   2. मनीष पुत्र रामनारायण
   3. निकिता पुत्री रामनारायण
      जाति-घांची, निवासी-जैतारण,
      तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. निर्मल पुत्र नोरतमल जाति-सोनी,
   निवासी-जैतारण (पाली)
4. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला
   पाली (राज.)
5. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण,
   जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 424/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ..........-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री श्यामलाल तंवर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 10-01 बीघा, किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरिराम पुत्र रामचन्द्र कौम प्रजापत हि. 16/40 सा प्रतापपुरा (नयागांव) तहसील- जैतारण निर्मल पुत्र नोरतमल कौम सोनी हि. 24/40 सा. देह खातेदार | 177/2 | 2-00 | बारानी दोयम | 0.62 |
| | योग | 1 | 2-00 | | 0-62 |
| 2 | सीताराम पुत्र पुखराज हि. 101/161 रामनारायण पुत्र पुखराज हि. 60/161 कौम घांची सा.देह खातेदार | 177 | 8-01 | बारानी दोयम | 2.50 |
| | योग | 1 | 8-01 | | 2.50 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/10/2019 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

---

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | | | मिजानः– | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.05 17:17:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: